

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- 127/2012 रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
माण्डलगढ

उनवान

बनाम

- 1.श्री भागुता पिता जग्गा
- 2.श्री भूरा पिता जग्गा
- 3.श्रीकजोड़ पिता जग्गा
- 4.सजना दुख्तर जग्गा
- 5.फेफा दुख्तर जग्गा
- 6.सरजू दुख्तर जग्गा
- 7.चांदू दुख्तर जग्गा गुर्जर निवासियान
अचलाजी का खेड़ा त0 माण्डलगढ

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:- श्री विपुल बापना,राज0 अधि0, प्रार्थी की ओर से
विपक्षी अधिवक्ता अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक ११-०३-2017

प्रार्थी तहसीलदार माण्डलगढ की ओर से रा0भू0रा0अधिनियम 1956की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरुद्ध माह अक्टूबर, 2006 में यह रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम अचलाजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ में स्थित साबिक आराजी नम्बर 263, 264, 268, 269, 270, 271, 272, 273 कीता 8 रकबा 15.16 बीघा भूमि जो कल्याण महाराज स्थानदेह डिग्गी इलाका जयपुर के खाते में अभिलिखित होकर पुजारी जग्गा पिता ऊंकार गुर्जर दर्ज रेकार्ड था जो जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2013 को देखने से सिद्ध है। नवीन बन्दोबस्त के दौरान उक्त आराजी भू-भाग के नवीन खसरा नम्बर 364, 365, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 कीता 10 रकबा 20.10 बीघा कायम कर विपक्षीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज कर दिया गया। प्रश्नगत आराजी भू-भाग गत अभिलेख में कल्याण महाराज स्थानदेह डिग्गी इलाका जयपुर की होकर मन्दिर मूर्ति की भूमि है। मन्दिर मूर्ति की भूमि को भू-प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आधार के विपक्षीगण के पूर्वजों के खाते में अभिलिखित किया गया, जो नियमों के विरुद्ध है। इस प्रकार मंदिर मूर्ति की भूमि निजी व्यक्तियों के खाते में अभिलिखित कर नियमों का उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी अपने प्रार्थनापत्र की पुष्टि में राजस्व अभिलेखों की प्रतिएं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

प्रस्तुत कर विवादित आराजी भू-भाग को पुनः राजस्व अभिलेख में कल्याण महाराज स्थानदेह डिग्गी इलाका जयपुर के नाम अभिलिखित कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत रेफरेन्स प्रतिवेदन इस न्यायालय में दिनांक 17.10.06 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनते हुए तहसीलदार माण्डलगढ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रतिवेदन अनुसार ग्राम अचलाजी का खेड़ा की साबिक आराजी नम्बर 263, 264, 268, 269, 270, 271, 272, 273 कीता 8 कुल रकबा 15.16 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 364, 365, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 कीता 10 रकबा 20.10 बीघा कायम किये जाकर भू-प्रबन्ध विभाग ने विपक्षीगण के खाते में अभिलिखित किया गया। मंदिर/मूर्ति की भूमि को निजी व्यक्तियों के खाते में अभिलिखित करना नियमों के विरुद्ध होने से इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2007 से रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर उक्त आराजीयात को विपक्षीगण के खाते से हटाया जाकर पुनः मंदिर/मूर्ति कल्याण महाराज स्थानदेह डिग्गी इलाका जयपुर के नाम अभिलिखित कराने हेतु रेफरेन्स स्वीकार किया गया।

उक्त आदेश दिनांक 09.04.2007 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 04.10.2012 के द्वारा विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2007 को खारिज कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे 1993 आर0आर0डी0 पृष्ठ 380 में प्रतिपादित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए एवं 2000 आर0आर0डी0 पृष्ठ 52 के निर्देशित सिद्धान्तों का अवलोकन करते हुए प्रकरण में पुनः कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होंगे।

प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 20.11.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु सूचना पत्र जारी किए गए। वक्त बहस दिनांक 9.03.2017 को बावजूद सूचना के स्वयं या इनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। एक तरफा बहस सुनी गई।

प्रकरण राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस के तथ्यों एवं माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में पत्रावली एवं उद्धरण पर मनन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत ग्राम अचलाजी का खेड़ा त0 माण्डलगढ की साबिक आ0नं0 265, 264, 268, 269, 270, 271, 272, 273 कीता 8 कुल रकबा 15.16 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 364, 365, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 कुल कीता 10 कुल रकबा 20.10 बीघा को भू-प्रबन्ध विभाग ने विपक्षीगण के खाते में अभिलिखित किया गया। मंदिर/मूर्ति की भूमि को निजी व्यक्तियों के खाते में अभिलिखित करना नियमों के विरुद्ध है। इस कारण रेफरेन्स स्वीकार करते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया गया। परन्तु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.10.2012 से आर0आर0डी0 1993 पेज 380 सरकार बनाम कैलाश बाबू के उद्धरण में दी गई व्यवस्थाओं अनुसार सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किए गए परिवर्तन को दुरुस्त कराने के लिए रेफरेन्स धारा 82 के अन्तर्गत पेश नहीं कर सीधे ही अपील माननीय निदेशक,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

लैण्ड रिकार्ड्स को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के प्रावधान इस प्रकार हैं कि- भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किए किसी इन्द्राज/परिवर्तन के विरुद्ध प्रकरण निदेशक, लैण्ड रिकार्ड्स के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1993 पृष्ठ 380 सरकार बनाम कैलाश बाबू का न्यायिक दृष्टान्त युक्तियुक्त है, जो इस प्रकार है:-

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, SECTION 82-

CHANGES MADE BY ASSISTANT SETTLEMENT OFFICER IN REGARD TO KHATEDARI RIGHTS SINCE SETTLEMENT AUTHORITIES ARE NOT IN THE HIERARCHY OF REVENUE AUTHORITIES-REFERENCE RETURNED TO COLLECTOR WITH DIRECTION TO REFER MATTER TO DIRECTOR LAND RECORDS, IF NECESSARY.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 04.10.2012 में दिए निर्देशों के अनुरूप रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 के तहत स्वीकार्य नहीं होने से पुनः तहसीलदार माण्डलगढ को लौटाते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण को निदेशक, लैण्ड रिकार्ड्स के यहां पर प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 22/03/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



22/3/17
(एल0आर0गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा (रा.ज.)